राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1099/2025

पीयुष पाण्डया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयुपर।
2. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बांसवाड़ा।
3. नानक राम यादव, वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डोरियारेल, नवाखेड़ा, बांसवाड़ा।
4. शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मुकेश पूनिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी वर्तमान में कार्यक्रम अधिकारी के पद पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग, बांसवाड़ा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पैतृक/माध्यमिक शिक्षा विभाग को कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी को अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव द्वारा जारी आदेश दिनांक 31.01.2011 द्वारा प्रतिनियुक्ति पर चयन किया जाकर कार्यक्रम अधिकारी के पद पर बांसवाड़ा लगाया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग ने बिना प्रक्रिया अपनाये अपीलार्थी को स्थानान्तरित कर दिया, जो नियम विरूद्ध है। अतः आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से निवेदन किया गया कि अपीलार्थी वर्ष 2011 से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है और प्रतिनियुक्ति निहित शर्तों में यह स्पष्ट है कि प्रतिनियुक्ति कार्मिक को विशेष आवश्यकता/प्रशासनिक कारण से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जा सकेगा। उनका यह कथन है कि अपीलार्थी का प्रतिनियुक्ति

प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत समाप्त करने का आलौच्य आदेश जारी किया गया है इसलिए अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में हम पाते है कि अपीलार्थी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्मिक है। अपीलार्थी को अल्पसंख्यक मामलात विभाग में चयन समिति की अभिशंषा पर चयन कर प्रतिनियुक्ति पर बांसवाड़ा द्वारा नियुक्ति दी गई थी। सेवा नियमों में अधिकतम चार वर्ष की प्रतिनियुक्ति अनुमत्त है। पत्रावली पर ऐसे दस्तावेज नहीं है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति बढाई गई हो। अपीलार्थी की तरफ से ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे स्पष्ट हो कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति आगे बढाई गई हो। अतः हमारा यह मत है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पैतृक विभाग में भेजे जाने की कार्यवाही नियमानुसार है।

अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र इसी प्रक्रम पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य